तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.5.2016	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत मुकाम डिलाना प्रस्तुत हुई। पेशकार सरकार उपस्थित है।	

प्रा०पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोतीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तह० सहाड़ा की सीमा में प्रार्थिया के स्वामित्व अधिकार एवं खातेदारी की साबिक आराजी नं 696 रकबा 12 बीघा स्थित है। साबिक आ०नं 696 के नवीन नम्बर आ०नं 2304 2307, 2308, 2309, 2310, 2315, 2316 2319, 2320, 2321, 2322, 2361, एवं 2362 कायम। जमाबन्दी 2059 से 2062 की संलग्न है।

विपक्षीगण सं 1 रामलाल पिता नारायण कुम्हार के खातेदारी की साबिक आराजी नं 698 है जिसके नवीन नं आराजी सं 2312, 2313, 2317, 2318, 2323, 2324 व 2325 कायम किये गये। सेटलमेन्ट वालों ने विपक्षी संख्या 1 की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजियात प्रार्थिया की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात के पास लगी होने से गलती से प्रार्थिया की चरण पत्र में वर्णित आराजियात में से आराजी सं 2315, 2316, एवं 2319

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ… हुक्म की तामी… में जारी हुए	तारीख हुक्म

साबिका आराजी नं 696 प्रार्थीगण के
खातेदारी की है कायम किये गये
उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज
करने व विपक्षी राज्य वि० नारमल
का नाम हटाने बाबत निवेदन
किया।
प्रार्थी / विपक्षी 1/1 से 1/3 अनुपस्थित
विपक्षी 1/1 से 1/3 का जवाब प्रस्तुत
नहीं होने से जवाब का अवसर
बंद किया ~~[illegible]~~ जाता है।
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके
द्वार के तहत कैम्प कोर्ट में ही
पेशकार साहब की बहस सुनी
गई। पेशकार साहब ने दौराने
बहस न्यायालय का ध्यान इस
ओर आकृष्ट किया कि ग्राम
मौलीविडा राजस्व ग्राम डेलाणा के
साबिका आ० नं 696/1 मी० से हाल
आराजी नं $\frac{2315}{0.06}$ $\frac{2316}{0.04}$ व $\frac{2319}{0.12}$
बनाये गये न कि आ० नं 696
से बनाये गये।
मैंने पत्रावली का आद्योपान्त
अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस
पर मनन किया।
पत्रावली में संलग्न मिलान
क्षेत्रफल के अनुसार ग्राम डेलाणा
के साबिका आ० नं 696/1 मी० के
[illegible] आ० नं 2315 2316

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली में उपलब्ध [illegible] गंगापुर की रिपोर्ट अनुसार भू प्रबन्ध ने गलत अंकन नहीं किया है वर्तमान आराजी नं. 2315/0.06, 2316/0.04 व 2319/0.12 रामलाल पिता [illegible] लोहार के नाम पर ही दर्ज रेकार्ड है जिसका सेटलमेन्ट के अनुसार पूर्व पुराना नं. 696/1 रकबा 91 होकर जो रामलाल s/o [illegible] के नाम पर कब्जा ही दर्ज थी उक्त आराजी ही है। इसके अतिरिक्त भू मापक द्वारा दिनांक 25.11.2010 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि ख.नं. 2315, 2316 व 2319 जो कि साबिक ख.नं. 696/1 से बने हैं मुताबिक मिलान सेटलमेन्ट से भी उपरोक्त सा.ख.नं. 696/1 से ही बना होना पाया व कि साबिक ख.नं. 696 से। उपरोक्त विवेचन से यह सुस्पष्ट तथ्य है कि [illegible] खेड़ा का राजस्व ग्राम डेलाणा के साबिक ख.नं. 696/1 मी. से ही ख.नं. 2315/0.06, 2316/0.04 व 2319/0.12 बनाये गये जो साबिक रेकार्ड में ख.नं. 696/1 मी./91 जिसकी रामलाल पि. [illegible] ही दर्ज थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हु हुक्म की तामी में जारी हुए
	Act का प्रार्थीगण अपने पक्ष में सिद्ध करने में विफल रहने से प्रार्थीगण का प्रा० पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः:- **आदेश** प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act का अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहने से प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद जाब्ता रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) …गापुर जिला भीलवाडा (राज)	